


विधान सभा के सदस्यों के वेतन तथा भत्तों से सम्बन्धित तदर्थ समिति

उत्तराखण्ड विधान सभा के दिनांक 13 जून, 2017 के उपवेशन में पारित प्रस्ताव के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ यह अधिसूचित किया जाता है कि श्री अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विधान सभा ने विधान सभा के निम्नलिखित सदस्यों को वर्ष 2017-18 के लिए "विधान सभा के सदस्यों के वेतन तथा भत्तों से सम्बन्धित तदर्थ समिति" का सदस्य नाम-निर्दिष्ट किया है:-

1. श्री प्रीतम सिंह पंवार, बड़ेथी धरासू, उत्तराकाशी,
2. श्री गणेश जोशी, 105ए, नैशविला रोड, देहरादून,
3. श्री गोपाल सिंह रावत, कचहरी रोड, उत्तरकाशी,
4. श्री विनोद चमोली, 103/6, ओल्ड नेहरू कालोनी, देहरादून,
5. श्री कैलाश चन्द्र गहतोड़ी, मल्ली मादली चम्पावत, पो0 व जनपद चम्पावत,
6. श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, ग्राम सैनियाणा, पो0 गैरसैण, जनपद चमोली,
7. श्री उमेश शर्मा काऊ, 272 अशोक विहार, अजबपुर कलां, जनपद देहरादून।

उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 2005 के नियम 190 के अनुसार माननीय अध्यक्ष, विधान सभा ने श्री प्रीतम सिंह पंवार को उक्त विधान सभा के सदस्यों के वेतन तथा भत्तों से सम्बन्धित तदर्थ समिति का सभापति नियुक्त किया है।

आज्ञा से,

(जगदीश चन्द्र)
सचिव।

संख्या: 228/वि0स0/05/समिति/2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. माननीय अध्यक्ष के निजी सचिव को माननीय अध्यक्ष महोदय की सूचनार्थ,
2. माननीय मुख्यमंत्री के निजी सचिव को माननीय मुख्यमंत्री की सूचनार्थ,
3. माननीय उपाध्यक्ष के निजी सचिव को माननीय उपाध्यक्ष की सूचनार्थ,
4. माननीय मंत्रियों के निजी सचिव को माननीय मंत्रियों की सूचनार्थ,
5. माननीय नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव को माननीय नेता प्रतिपक्ष की सूचनार्थ,
6. उत्तराखण्ड विधान सभा के समस्त सदस्यगण,
7. सचिव, श्री राज्यपाल, राजभवन, देहरादून,
8. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन,
9. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन,
10. प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तराखण्ड शासन,
11. प्रमुख सचिव, विधायी एवं संसदीय विभाग, उत्तराखण्ड शासन,
12. प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस, स्टेट बैंक के पीछे इन्दिरा नगर, देहरादून,

13. महानिदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून,
14. विधान सभा सचिवालय के समस्त अधिकारी एवं अनुभाग,
15. वरिष्ठ शोध अधिकारी विधान सभा को वेबसाइट हेतु,
16. सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन अशोक रोड, नई दिल्ली,
17. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे असाधारण राजपत्र में मुद्रित कर पांच प्रतियां इस सचिवालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।



(जगदीश चन्द्र)
सचिव।